भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1953

दिनांक 17.12.2013/26 अग्रहायण, 1935 (शक) को उत्तर के लिए

नक्सलवाद में बच्चों की भर्ती

1953 श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि देश में नक्सल संगठनों द्वारा बच्चों की भर्ती करके उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सूचित किए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे कार्यकलापों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह)

(क) और (ख) : वामपंथी उग्रवादी समूह, विशेषकर सी पी आई (माओवादी) बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्यों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के जन जातीय बेल्ट से अवयस्कों अर्थात लड़कों और लड़कियों दोनों की भर्ती करते हैं। बिहार और झारखण्ड में इन बच्चों को "बालदस्ता" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बच्चों के इस दस्ते को "बाल संघम" के रूप में जाना जाता है। जन जातीय बच्चों की भर्ती के पीछे का विचार उन्हें उनके समृद्ध परंपरागत सांस्कृतिक स्थलों से बहलाकर दूर ले जाना और उन्हें माओवादी विचारधारा की शिक्षा देना है। ऐसे बच्चों को मुखबिर के रूप में कार्य करने, लाठी जैसे गैर-घातक हथियारों से लड़ने इत्यादि जैसे बहुविधि कार्यों को करने के बारे में कहा जाता है। इसके पश्चात, 12 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात, उन्हें "चैतन्य नाट्य मंच", 'संघम', 'जन मिलिटिया' और 'दलम' जैसी बच्चों की अन्य इकाइयों में शाखाबद्ध कर दिया जाता है। 'संघम', 'जन मिलिटिया' और 'दलम' में सी पी आई (माओवादी) इन बच्चों को हथियार चलाने और विभिन्न प्रकार की त्वरित विस्फोटक प्रणालियों के प्रयोग के बारे में प्रशिक्षण देते हैं। 'जन मिलिटिया' और 'दलम' भर्ती किए गए बच्चे सुरक्षा दलों के साथ सशस्त्र संघर्ष में भी भाग लेते हैं जहाँ उन्हें आगे के मोर्चे में युक्तिपूर्वक ढकेल दिया जाता है। अवयस्क बच्चों के हताहत हो जाने की स्थिति में सी पी आई (माओवादी) द्वारा इसे दुष्प्रचार का तरीका बना लेते हैं। यह

भी सूचना मिली है कि 'दलम' में भर्ती हुए बच्चों को छुट्टी लेने की अनुमति नहीं है। यदि वे सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं तो उन्हें परिवार के सदस्यों की हत्या कर दिए जाने जैसे गंभीर प्रतिशोधों का सामना करना पड़ता है। सी पी आई (माओवादी) द्वारा भर्ती किए गए बच्चों की कुल संख्या का कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है।

(ग) : 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, इसलिए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित कार्रवाई प्राथमिक रूप से उन संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आती है जो राज्य में नक्सली गतिविधियों से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों से निपटती है। राज्य सरकारें ऐसे मामलों में मामला-दर-मामला आधार पर विधिक कार्रवाई शुरू करती है। केन्द्र सरकार भी स्थिति की गहन रूप से निगरानी कर रही है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन सी पी सी आर) द्वारा दिसम्बर, 2010 से मार्च, 2013 तक असम, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और छत्तीसगढ़ में हिंसा प्रभावित राज्यों में बच्चों पर विशेष रूप से संकेन्द्रित बाल बंधु योजना का कार्यान्वयन प्रायोगिक तौर पर किया गया था। इस योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, बच्चों के जीवन में स्थायित्व लाने का प्रयास करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सरकारी कार्रवाई के माध्यम से उनके संरक्षण, स्वास्थ्य, पोषाहार, स्वच्छता, शिक्षा और सुरक्षा के सभी हक पूरे किए जाएँ।

*****